राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सागर मल बनाम लक्ष्मीनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/0 2025		
9/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 30/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
30/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिव[illegible] रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी	
07/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता स्व. सूरजमल उर्फ़ सूज्या ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4 व 7 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उभयपक्षकारान वादअधीन भूमि अकृषि भूमि होना एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26/08/2025 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक ब[illegible]स पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित होकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं कानूनन अकृषि भूमि के सन्दर्भ में राजस्व न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नही है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 [illegible]यम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर वादी का वाद ख़ारिज करने में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट नही होता है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विधिसम्मत प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1710/2025 सागर मल बनाम लक्ष्मीनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/08/2025 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	